कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376—232077, ई:मेल : dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक: ०५ / 12-1

नई टिहरी, दिनांक- 01/04/ 2020

सेवा में,

वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

विषय:-

Diversion of 0.908 ha. of forest land for construction of Chamba Nagar (Re-organization) Pumping Drinking Water Supply Scheme.

सन्दर्भ:-

रीजिनल कार्यालय, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्ति दिनांक:-01-05-2020।

महोदय,

प्रश्नगतं परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपत्ति लगाई गई है जिनका निराकरण निम्नप्रकार प्रेषित है:-

S. No.	Shortcomings	Clarification/reply
1	KML file of the area proposed for diversion not found uploaded.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि की KML file संशोधित कर अपलोड कर दी है।
2	It is seen from the details filled up at para-B-I of Part-I that the stage-I approval was accorded on 02.08.2017 in the proposal no. FP/UK/WATER/20621 but is has not been explained as to how the proposal is related to the current proposal.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव सं0—FP/UK/WATER/20621 चम्बा—मसूरी फलपट्टी पम्पिंग योजना का है जिसका इस परियोजना से कोई सम्बन्ध नही है एवं उपरोक्त योजना में वन भूमि पर कार्य करने की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।
3	It reveals form the details given at para-B-2.3 of Part-I that the forest land proposed for diversion falls within the juridication of 4 villages i.e. Sandkoti, Badongaon, Kemwalgaon and Nawagarh but the proceeding of VLC under FRA has not been uploaded at para-K of Part-I for any of the village instead proceedings of Nagar Pallika, Chamba has been found uploaded.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के निर्माण से आरिक्षत वन भूमि 0.3698 है0 तथा सिविल सोयम भूमि 0.5382 है0 कुल—0.908 है0 प्रभावित हो रही है। प्रभावित भूमि किसी भी वन पंचायत / ग्राम सभा के अन्तर्गत नहीं पडती है। इसलिए para-B-2.3 of Part-I को संशोधित कर ग्राम सभाओं के नाम हटा कर आरिक्षत वन भूमि एवं सिविल सोयम भूमि का विवरण अंकित कर दिया गया है। उक्त परियोजना के निर्माण से नगर पालिका क्षेत्र चम्बा लाभान्वित हो रहा है।
4	Layout plan of the project has not been uploaded.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Layout plan तैयार कर Part-I में अपलोड कर दिया है जिसकी एक मूल प्रति तथा तीन रंगीन छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।
5	Working Plan prescription have not been given against para-5 of Part-II.	para-5 of Part-II में Working Plan prescription संशोधित कर अंकित कर दिया गया है।

6	It is mentioned against para-6 of the Part-II that the possibility of erosion to some extent cannot be ruled out but DFO has not suggested measures to prevent soil erosion.	परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा पाया कि Soil erosion की सम्भावनाओं के दृष्टिगत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा टॉप टैंक की खुदाई से निकलने वाली कुल मिट्टी 227.96 घ०मी० को 20मी०X5मी०X5मी० की दीवार टैंक के समीप ही बनाकर मिट्टी को उसके भीतर भरा जायेगा जिससे मिट्टी का क्षरण न हो सके कार्य की लागत, योजना के प्राक्कलन में सम्मिलित की गई है।
7	The date given in District profile in para-14 do not appear correct. CA stipulated (3717.11 ha.) is not commensurate to forest land diverted (6512.45 ha.) and progress of CA (6661.93 ha.) is more than CA stipulated.	

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रियन धिकारी, री वस प्रभाग, नई टिहरी

